संख्याः04/2020/135/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 ।

(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभागः **लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी, 2020**

विषयः-अक्षय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की गुणवता एवं क्रियाशीलता को दृष्टिगत रखते हुए संयंत्रों के अधिष्ठापन संबंधी कार्यो को उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों की अधिकाधिक स्थापना पर बल दिया जा रहा है। इस सन्दर्भ में शासन द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विकास अभिकरण (यूपीनेडा) का गठन किया गया है, जो एमएनआरई, भारत सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। प्रदेश में शासन स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित संयंत्र विशेषकर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना किये जाने हेतु शासन द्वारा समस्त कार्य यूपीनेडा के माध्यम से कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या -33/2017/977/45-वि.(अति.ऊ.सो.वि.)/2017 दिनॉक 29 अगस्त 2017 एवं शासनादेश संख्या-38/2017/1318/45-वि.(अति.ऊ.स्रो.वि.)/2017 दिनॉक 17 अक्टूबर 2017 निर्गत किये गये है (उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। इन शासनादेशों में मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो में कतिपय शर्तों के साथ छूट प्रदान की गयी है।

2- शासन के संज्ञान में यह आया है कि कहीं-कहीं उक्त शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे स्थापित होने वाले संयंत्रों की गुणवत्ता एवं क्रियाशीलता प्रभावित हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अरविन्द कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।

(3) निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) लखनऊ ।

(4) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

भवानी सिंह खंगारौत

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।